:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3261/दो/2016–विरूद्ध आदेश दिनांक 18–06–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक,मुंगावली, जिला अशोकनगर–प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/2015–16।

1. विजयप्रतापसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह यादव।
2. कृष्णपाल पुत्र वीरेन्द्रसिंह यादव।
   निवासीगण झागर बमुरिया,तहसील
   मुंगावली,जिला अशोकनगर,म0प्र0 ——निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

संग्रामसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह निवासी
झागर बमुरिया,तहसील मुंगावली जिला
अशोकनगर,म0प्र0। ——गैरनिगरानीकर्ता

1. श्री अंशु गुप्ता, अभिभाषक——————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक——————गैरनिगरानीकर्ता के लिये।

::आ दे श::

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/2015–16 में किये गये सीमांकन दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 106/1/ख/1 रकवा 06.403 है0 ग्राम झागर बमुरिया का सीमांकन कराये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/2015–16 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 20.06.2016 से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के कारण अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया गया। निगरानीकर्तागण द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 18.06.2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही बाला–बाला की गयी है, जबकि निगरानीकर्तागण की भूमि सर्वे क्रमांक 106/1/ख/2 भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है,सीमांकन किये जाने से पहिले मेड़िया काश्तकारों को भी सूचना देना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना सीमांकन के संबंध में अनिवार्य प्रक्रिया है। इसी गलत सीमांकन के आधार पर गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता की भूमि रकवा 1.463 है0 पर संहिता की धारा 250 का दावा विचारण न्यायालय में पेश किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सीमांकन दिनांक 18.06.2016 निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 का है, जबकि दिनांक 18.06.2016 को राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट विचारण न्यायालय में भेजी गयी है। अतः निगरानीकर्ता के द्वारा जिस आदेश की निगरानी प्रस्तुत की है, वह आदेश न होकर सीमांकन रिपोर्ट है । ऐसी स्थिति में निगरानी स्वतः ही प्रचलन योग्य नही हैं। इसके अलावा यह भी बताया कि गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि का ही सीमांकन कराया गया है। सीमांकन के समय निगरानीकर्तागण मौके पर उपस्थित थे, किन्तु सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया था। निगरानकर्ता का यह कहना कि उसे सूचना नहीं दी गयी और न ही उसे सुना गया, असत्य होने से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 106/1/ख/1 रकवा 06.403 है0 ग्राम झागर बमुरिया का सीमांकन कराये जाने के संबंध में एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 23.05.2016 को पटवारी मौजा को सीमांकन हेतु पत्र जारी करने,प्रकरण में मेड़िया काश्तकारों को सूचना पत्र जारी किये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को भी दिनांक 13.06.2016 को सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें दिनांक 18.06.2016 को सीमांकन होने का उल्लेख किया गया। विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका के पृष्ठ क्रमांक 04 पर सूचना पत्र संलग्न

है, जिसके अवलोकन से सूचना पत्र निगरनीकर्तागण द्वारा लेने से इन्कार किया गया है। यह टीप कोटवार के द्वारा दर्ज है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण को दिनांक 18.06.2016 को सीमांकन होने की जानकारी हो चुकी थी और सीमांकन के समय निगरानीकर्तागण मौके पर उपस्थित भी रहें है किन्तु सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। यह टीप भी सीमांकन रिपोट एवं पंचनामा पर दर्ज है। निगरानीकर्तागण का यह तर्क कि उन्हें न तो सूचना दी गयी और न सुना गया स्वीकार किये जाने योग्य नही है। 1987 रे0नि0 391 जगदीशसिंह विरूद्ध जगदीशसिंह में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमांकन यदि पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया हो, और एक पक्षकार ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया हो, तब यह नहीं माना जावेगा कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति मे किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी तथ्य् सामने आया है कि निगरानीकर्तागण के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय (राजस्व निरीक्षक) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है जबकि विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका में दिनांक 18.06. 2016 को कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20. 06.2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। दिनांक 18.06.2016 को राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन किया गया है तथा पंचनामा बनाया गया है। ऐसी स्थिति में भी निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत आदेशों एवं तथ्यों के आधार पर पेश होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 18.06.2016 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं गलत आदेश के विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर